हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

5 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिये शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है।
- विदित है कि वर्तमान में मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त पदों के लिये इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री निर्धारित योग्यता थी।
- वित्त एवं योजना अधिकारी, प्रधानाचार्य (फुटवियर), प्रशिक्षण अधिकारी (बीटीसी) शिक्षुता तथा प्लेसमेंट अधिकारी के नये सृजित पदों को भरने हेतु नियमों में प्रावधान किया गया है तथा जो पद समाप्त हुए हैं या अपग्रेड हुए हैं, उन पदों को नियमों से हटाया गया है।
- कंप्यूटर पर कार्य करने की प्रवीणता लाने के लिये कंप्यूटर एप्रीशिएशन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) पास करने का प्रावधान किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/approval-of-haryana-skill-development-industrial-training-department,-group-b-directorate-and-regional-office,-service-rules,-2023